उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप अनुभाग-3
सख्या- 04/2017/244/84-3-17-नि0-64/2008
लखनऊ :: दिनांक 09 मई, 2017

कार्यालय आदेश

उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप डे0ई0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-735(1)/84-डे0ई0-08 दिनांक 17 जून 2008 द्वारा प्रदेश के कारागारों में निरूद्ध बन्दियों हेतु खाद्यान्न की आपूर्ति से संबंधित कार्यो के निष्पादन हेतु अधिशासी निदेशक उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त समिति में नामित सदस्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के स्थान पर वित्त एवं लेखाधिकारी (श्री सुशील कुमार वर्मा), खाद्य आयुक्त कार्यालय उ0प्र0 को कार्यहित में उनके वर्तमान पद के कार्य के साथ-साथ एतद्द्वारा सदस्य नामित किया जाता है। इस हेतु श्री सुशील कुमार वर्मा को कोई अतिरिक्त वेतन-भत्ते आदि देय नहीं होंगें।

2- उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-735(1)/84-डे0ई0-08, दिनांक 17 जून 2008 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

अशोक कुमार मिश्र
अनु सचिव।

सख्या- 04/2017/244(1)/84-3-17तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, कारागार एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2- महानिदेशक, कारागार विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
3- खाद्य आयुक्त, उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ ।
4- अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- श्री सुशील कुमार वर्मा, वित्त एवं लेखाधिकारी, खाद्य आयुक्त कार्यालय उ0प्र0
6- वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम लखनऊ।
7- सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
8- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

[redacted]

आज्ञा से,

अशोक कुमार मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in